I/23950/20

सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी
(आई0टी0डी0ए0)

ITDA

Ph: 0135-2608330
Email:diritda-uk@nic.in

(सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग,
उत्तराखण्ड शासन)

आई.टी. भवन, आई.टी.07, (आई0टी0 पार्क),
सहस्रधारा रोड, देहरादून — 248001

कार्यालय ज्ञाप

प्रायः देखा जा रहा है, कि मुख्यमंत्री हैल्प लाईन (1905) पोर्टल पर कतिपय शिकायतकर्ताओं द्वारा एक ही समय में एक ही प्रकृति की अधिसंख्या में शिकायतें पंजीकृत कराने के कारण अन्य शिकायतों के निस्तारण में व्यावहारिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में उच्च स्तर से निर्णय लिया गया है, कि मुख्यमंत्री हैल्प लाईन 1905 पोर्टल पर तत्काल प्रभाव से यह प्राविधान किया जाता है, कि शिकायतकर्ता एक नाम एवं एक ही मोबाईल नम्बर से एक समय में अधिकतम 10 शिकायतें ही पंजीकृत करा सकते हैं। इन 10 शिकायतों में से यदि कतिपय शिकायतों का निराकरण हो जाता है, तो शिकायतकर्ता उतनी ही संख्या में पुनः नयी शिकायतें पंजीकृत करा सकते हैं। इस प्रकार एक समय में एक ही शिकायतकर्ता की 10 से अधिक शिकायतों का पंजीकरण पोर्टल पर नहीं किया जायेगा।

उक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

Signed by Nitika Khandelwal
Date: 20-05-2024 11:32:48

(नितिका खण्डेलवाल, **IAS**)
निदेशक

प्रतिलिपिः— निम्नालिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. राज्य नोडल अधिकारी, सी0एम0 पोर्टल/सी0पी0ग्राम्स् पोर्टल, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रबन्धक, सी0एम0 हैल्प लाईन को उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।